न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 276 / 2023

अनवान : –

1. पवन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. भूपराम पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. शिशपाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. देवीसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपुत निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. सुभाष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
13. शाखा, प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
14. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 10/12/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/233 की कुल 11.1030 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/233 की कुल 11.1030 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ता ... नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ... ई। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/233 की कुल 11.1030 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. पवन 2/5 हि0, दिनेश 1/5 हि0, सुभाष 1/5 हि0 पुत्र लक्ष्मीनारायण, सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण 1/5 हि0 कौम ब्राहमण सा0 नोहर खातेदार – ख0न0 261 में से 0.1391 हैक्ट कुल 0.1391 हैक्ट बारानी प्रथम
2. अशोक कुमार, चन्द्रप्रकाश, मुकेश पि0 राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद बहिब 30666/109639 हि0 कौम ब्राहमण, कृष्णलाल, भूपराम, शिशपाल पि0 फरसाराम बहिब 48370/109639 हि0 कौम जाट, राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह 18716/109639 हि0 कौम राजपूत, नीरज पुत्र भूपराम सहारण 7590/109639 हि0, सुनीता पत्नी रोहिताश 4297/109639 हि0 कौम जाट सा0 देह खातेदार, रहन अशोक कुमार, चन्द्र प्रकाश, मुकेश का हि0 पीएनबी शाखा नोहर, कृष्णलाल, भूपराम, का हि0 एसबीआई शाखा नोहर शिशपाल का हि0 बीओबी शाखा नोहर – ख0न0 261 में से 10.9639 हैक्ट, कुल रकबा 10.9639 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 276/2023

अनवान : –

1. पवन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. भूपराम पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. शिशपाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. देवीसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपुत निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. सुभाष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
13. शाखा, प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
14. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 221 सन 2023 निर्णय दिनांक 10/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/233 की कुल 11.1030 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. पवन 2/5 हि0, दिनेश 1/5 हि0, सुभाष 1/5 हि0 पुत्र लक्ष्मीनारायण, सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण 1/5 हि0 कौम ब्राहमण सा0 नोहर खातेदार – ख0न0 261 में से 0.1391 हैक्ट कुल 0.1391 हैक्ट बारानी प्रथम
2. अशोक कुमार, चन्द्रप्रकाश, मुकेश पि0 राजुराम उर्फ राजेन्द्र प्रसाद बहिब 30666/109639 हि0 कौम ब्राहमण, कृष्णलाल, भूपराम, शिशपाल पि0 फरसाराम बहिब 48370/109639 हि0 कौम जाट, राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह 18716/109639 हि0 कौम राजपूत, नीरज पुत्र भूपराम सहारण 7590/109639 हि0, सुनीता पत्नी रोहिताश 4297/109639 हि0 कौम जाट सा0 देह खातेदार, रहन अशोक कुमार, चन्द्र प्रकाश, मुकेश का हि0 पीएनबी शाखा नोहर, कृष्णलाल, भूपराम, का हि0 एसबीआई शाखा नोहर शिशपाल का हि0 बीओबी शाखा नोहर – ख0न0 261 में से 10.9639 हैक्ट, कुल रकबा 10.9639 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 10/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर